

पत्रांक :- 184
प्रेषक,

पटना,

दिनांक :- 27.3.2018

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :- मेसर्स श्री साई राईस मिल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत परियोजना को दे
द्वितीय एवं तृतीय किश्त (अंतिम) के रूप में ₹ 19.656 लाख (उन्नीस लाख पैंसठ हजार छः सौ) मात्र की निकासी एवं भुगतान व
स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2- इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता माँगसं0-23, उ
शीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852801020160 विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से व
जायेगी।

3- इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना
डी0डी0ओ0 कोड- IND010 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0160.33.01 सब्सिडी मद में प्राप्त आवंटन से की जायेगी।

4- इस राशि का भुगतान मेसर्स श्री साई राईस मिल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण के बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रान्च बेतिया (उजैन टोला) व
नो-लियन खाता सं0-12310200000379 आई0एफ0एस0सी0 कोड-BARB0BETTIA में RTGS के माध्यम से स्थानान्तरित/डिमार्न्ड ड्राफ्ट
द्वारा किया जायेगा।

5- मेसर्स श्री साई राईस मिल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत देय अनुदान
की कुल राशि ₹ 27.07 लाख (सत्ताईस लाख सात हजार) होता है। जिसे क्रमशः 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के तीन किश्तों में विमुक्त
किया जाना है। अतः प्रथम किश्त के रूप में ₹ 5.414 लाख (पाँच एकतालीस हजार चार सौ) मात्र की विमुक्ति विभागीय आदेश ज्ञापांक 93
दिनांक 08.09.2016 के द्वारा किया गया है।

पुनः परियोजना को द्वितीय एवं तृतीय किश्त (अंतिम) के रूप में ₹ 19.656 लाख (उन्नीस लाख पैंसठ हजार छः सौ) मात्र की विमुक्ति
विभागीय आदेश ज्ञापांक 934 दिनांक 08.09.2016 में निहित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

6- देय अनुदान की विमुक्ति के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण
निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि Demand
Draft में संबंधित इकाई के नो-लियन खाता संख्या को अंकित कर दिया जाये।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :- 184

पटना, दिनांक :- 27.3.18

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/श्री भी0एन0ठाकुर, उप निदेशक (तक0), खा0
प्र0 निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप
उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स श्री साई राईस मिल, बेतिया, पश्चिमी
चम्पारण/शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रान्च बेतिया (उजैन टोला) एवं प्रबंधक, IL&FS-CDI Ltd., तीसरा एवं चौथा तल्ला, आरकेड
बिजनेस कॉलेज, अपोजिट संत कैरेन्स सेकेंड्री स्कूल, खगौल रोड, नियर सगुना मोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।